राजस्व वाद संख्या:– 03 / 2020
कुरडाराम बनाम मालाराम आदि
निर्णय दिनांक:– 5/7/23

राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 03 / 2020

कुरडाराम पुत्र अर्जुनराम उम्र 58 साल जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

......... वादी

**ब–ना–म**

1. मालाराम पुत्र श्रीराम उम्र 60 साल
2. रोहताश पुत्र प्रहलाद उम्र 62 साल
3. सजेसिंह पुत्र प्रहलाद उम्र 58 साल
4. अमर सिंह पुत्र प्रहलाद उम्र 55 साल
5. राजपाल पुत्र प्रहलाद उम्र 52 साल समस्त जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
6. मनीया पुत्री प्रहलाद पत्नी कृष्णकुमार उम्र 50 साल जाति अहीर निवासी माजरी हाल आबाद खान्दवा तहसील बुहाना
7. सुनिता पुत्री प्रहलाद पत्नी सतीश कुमार उम्र 48 साल जाति अहीर निवासी माजरी हाल आबाद सुलताना अहीरान तहसील बुहाना
8. हनुमान पुत्र देवीसहाय उम्र 75 साल
9. शेर सिंह पुत्र देवीसहाय उम्र 70 साल
10. दलीप सिंह पुत्र देवीसहाय उम्र 62 साल
11. कृष्णकुमार पुत्र देवीसहाय उम्र 55 साल
12. हंसराज पुत्र बस्तीराम उम्र 25 साल
13. रामप्यीी पत्नी बस्तीराम उम्र 60 साल समस्त जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
14. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा पचेरी कलां।
15. पंजाप नेशनल बैंक शाखा सिंघाना।
16. भारतीय स्टेट बैंक शाखा पचेरी कलां।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:56:55 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

:: निर्णय :: दिनांक : 5/7/23

वादी की ओर से वाद [illegible] पेश किया गया है [illegible] ग्राम माजरी तहसील बुहाना स्थित हाल खाता सं. 117 के ख.नं. 261 रकबा 0.76 है., ख.नं. 282 रकबा 0.80 है., ख.नं. 283 रकबा 0.23 है., ख.नं. 299 रकबा 0.70 है., ख.नं. 304 रकबा

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

1.04 है., ख.नं. 441 रकबा 0.11 है., ख.नं. 521 रकबा 0.69 है., ख.नं. 57 रकबा 0.13 है., ख.नं. 58 रकबा 0.44 है., ख.नं. 648/444 रकबा 0.23 है. कुल किता 10 कुल रकबा 5.13 है. के खातेदार काश्तकार कुरडाराम पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/4, कृष्णकुमार पुत्र देवी सहाय हिस्सा 1/20, दलीप सिंह पुत्र देवी सहाय हिस्सा 1/20, प्रहलाद पुत्र गोरधन हिस्सा 1/4, मालाराम दत्तक पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/4, शेरसिंह पुत्र देवी सहाय हिस्सा 1/20, हनुमान पुत्र देवी सहाय हिस्सा 1/20, हंसराज पुत्र बस्तीराम हिस्सा 1/20 दर्ज रिकार्ड है। ग्राम माजरी स्थित भूमि हाल खाता सं. 24 के ख.नं. 587 रकबा 0.19 है., ख.नं. 588 रकबा 0.14 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 है. में खातेदार काश्तकार कुरडाराम पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/4, कृष्ण कुमार पुत्र देवी सहाय हिस्सा 1/20, दलीप सिंह पुत्र देवी सहाय हिस्सा 1/20, प्रहलादपुत्र गोरधन हिस्सा 1/4, मालाराम दत्तक पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/4, रामप्यारी देवी पत्नी बस्तीराम हिस्सा 1/40, हंसराज पुत्र बस्तीराम हिस्सा 1/40, शेरसिंह पुत्र देवी सहाय हिस्सा 1/20, हनुमान पुत्र देवी सहाय हिस्सा 1/20 दर्ज रिकार्ड है। इसी ग्राम माजरी में स्थित खाता सं. 23 के ख.नं. 415 रकबा 0.27 है. के खातेदार काश्तकार कुरडाराम पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/3, प्रहलाद पुत्र गोरधन हिस्सा 1/3, मालाराम दत्तक पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। खातेदार प्रहलाद पुत्र गोरधन फौत हो चुका है इसलिए प्रतिवादी सं. 2 लगा. 7 को प्रहलाद के स्थान पर प्रतिवादी पक्षकार बनाये गये हैं। वादी व प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है परन्तु रिकार्ड में मिटस एण्ड बाउण्ड खाता विभाजन नहीं हुआ है इसलिए खाता विभाजन हेतु वाद पेश किया गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि–

(क) वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना स्थित हाल खाता सं. 117 के ख.नं. 261 रकबा 0.76 है., ख.नं. 282 रकबा 0.80 है., ख.नं. 283 रकबा 0.23 है., ख.नं. 299 रकबा 0.70 है., ख.नं. 304 रकबा 1.04 है., ख.नं. 441 रकबा 0.11 है., ख.नं. 521 रकबा 0.69 है., ख.नं. 57 रकबा 0.13 है., ख.नं. 58 रकबा 0.44 है., ख.नं. 648/444 रकबा 0.23 है. कुल किता 10 कुल रकबा 5.13 है. में वादी के 1/4 हिस्से का खाता विभाजन कर अलहदा लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख) ग्राम माजरी तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता सं. 24 के ख.नं. 587 रकबा 0.19 है., ख.नं. 588 रकबा 0.14 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 है. में से वादी के 1/4 हिस्से का खाता विभाजन कर अलहदा लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ग) इसी ग्राम माजरी तहसील बुहाना स्थित खाता सं. 23 के ख.नं. 415 रकबा 0.27 है. में से वादी के 1/3 हिस्से का खाता विभाजन कर अलहदा लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 13 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद पत्र के खण्ड सं. 1 व 2 में प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 का 1/2 हिस्सा है। खाता विभाजन में प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 का हिस्सा एक जगह रखा जावे। तथा वाद पत्र के खण्ड सं. 3 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 का 2/3 हिस्सा है। खाता विभाजन में प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 का 2/3 हिस्से को एक जगह रखा जावे। वाद पत्र के खण्ड सं. 1 व 2 में प्रतिवादी सं. 8 लगा. 13 का 1/4 हिस्सा है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:56:55 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

1/4 हिस्से का खाता विभाजन कर प्रतिवादी सं. 8 लगा. 13 का हिससा सामूहिक रखा जावे। शेष प्रतिवादीगण सं. 14 से 17 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता सं. 117, खाता सं. 24 व खाता सं. 23 ग्राम माजरी पेश की गयी।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 01–04–2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट क्रमांक 18 दिनांक 01–06–2023 (इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 06–06–2023) को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादीगण ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

बहस सुनी गई।पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

**आदेश**

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता विभाजन डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के हाल खाता सं. 117 के खसरा नंबर 261, 282, 283, 299, 304, 441, 521, 57, 58, 648/444 कुल किता 10 कुल रकबा 5.13 है. व हाल खाता सं. 24 खसरा नंबर 587, 588 कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 है. तथा हाल खाता सं. 23 खसरा नंबर 415 रकबा 0.27 है. भूमि का मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '"अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 5/7/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:56:55 IST
Reason: SelfAttested

# मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 03/2020

कुरडाराम पुत्र अर्जुनराम उम्र 58 साल जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

......... वादी

**ब–ना–म**

1. मालाराम पुत्र श्रीराम उम्र 60 साल
2. रोहताश पुत्र प्रहलाद उम्र 62 साल
3. सजेसिंह पुत्र प्रहलाद उम्र 58 साल
4. अमर सिंह पुत्र प्रहलाद उम्र 55 साल
5. राजपाल पुत्र प्रहलाद उम्र 52 साल समस्त जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
6. मनीया पुत्री प्रहलाद पत्नी कृष्णकुमार उम्र 50 साल जाति अहीर निवासी माजरी हाल आबाद खान्दवा तहसील बुहाना
7. सुनिता पुत्री प्रहलाद पत्नी सतीश कुमार उम्र 48 साल जाति अहीर निवासी माजरी हाल आबाद सुलताना अहीरान तहसील बुहाना
8. हनुमान पुत्र देवीसहाय उम्र 75 साल
9. शेर सिंह पुत्र देवीसहाय उम्र 70 साल
10. दलीप सिंह पुत्र देवीसहाय उम्र 62 साल
11. कृष्णकुमार पुत्र देवीसहाय उम्र 55 साल
12. हंसराज पुत्र बस्तीराम उम्र 25 साल
13. रामप्यारी पत्नी बस्तीराम उम्र 60 साल समस्त जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
14. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा पचेरी कलां।
15. पंजाप नेशनल बैंक शाखा सिंघाना।
16. भारतीय स्टेट बैंक शाखा पचेरी कलां।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

**दावा– खाता विभाजन**

**निर्णय दिनांक :** 5/7/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:56:55 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से **श्री विजयपाल यादव एडवोकेट** की उपस्थिति मे तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री **जगदेव सिंह यादव एडवोकेट** उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ...... को **श्री सुनील कुमार चौहान** उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

**" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता विभाजन डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत**

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2078 के हाल खाता सं. 117 के खसरा नंबर 261, 282, 283, 299, 304, 441, 521, 57, 58, 648/444 कुल किता 10 कुल रकबा 5.13 है. व हाल खाता सं. 24 खसरा नंबर 587, 588 कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 है. तथा हाल खाता सं. 23 खसरा नंबर 415 रकबा 0.27 है. भूमि का मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 5/7/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:56:55 IST
Reason: SelfAttested